भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 954
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

एडब्ल्यूसी का डिजिटल उन्नयन

954. श्री बसवराज बोम्मई

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुनर्गठित एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)/मिशन पोषण ढांचे के अनुसरण में, सरकार ने देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के डिजिटल उन्नयन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है, जिन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटरीकृत डेटा-एंट्री सिस्टम सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है; और
(ग) क्या पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), लाभार्थी प्रमाणीकरण तथा सेवा-वितरण क्षमताओं पर इस प्रकार के डिजिटलीकरण के प्रभाव का परिमाण निर्धारित करने के लिए कोई परिणाम-आधारित मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लाभार्थियों की तत्समय (रियल टाइम) निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को शुरू किया है। पोषण ट्रैकर ऐप ने मंत्रालय को विभिन्न मापदंडों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सुधार करने में सक्षम बनाया है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को

खोलने, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई कार्यकलापों, बच्चों के विकास की निगरानी, पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर), विकास मापन इत्यादि के लिए तत्समय डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है।

यह मिशन एक सार्वभौमिक व्यापक योजना है जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई प्रवेश बाधा नहीं है।प्रत्येक लाभार्थी जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) के लिए ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के इच्छुक है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का पूरी तरह से हकदार है। इस आधार आधारित ट्रैकिंग ने लाभार्थियों की उचित पहचान, दुरुपयोग को रोकने और फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त करने में सक्षम बनाया है। पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 99.88 प्रतिशत पंजीकृत लाभार्थी आधार सत्यापित हैं। सेवा प्रदायगी की अंतिम चरण की ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने टेक-होम राशन (टीएचआर) के वितरण के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही दिया जाए।

लाभार्थियों को टेक-होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। यदि किसी भी कारण से, पंजीकृत लाभार्थी एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने में असमर्थ है, तो वह अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से एक नामित व्यक्ति का चयन कर सकती है। नामांकित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी से गुजरना होगा। लेकिन लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए हर बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। यदि वे चाहें तो नामित व्यक्ति को जोड़ने के बाद भी, लाभार्थी अभी भी टीएचआर प्राप्त करना जारी रख सकता है। इससे लाभार्थियों के लिए जीवन आसन हो गया है।

मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, महिला पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों के लिए स्मार्ट फोन की खरीद हेतु निधि जारी करता है, ताकि पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में सभी लाभार्थियों के पंजीकरण, डेटा प्रविष्टि, ट्रैकिंग और निगरानी की जा सके। विकास निगरानी उपकरणों (लाभार्थियों की ऊंचाई और वजन मापने के लिए इन्फेंटोमीटर, स्टैडियोमीटर, शिशु वजनमापी और मातृ एवं शिशु वजनमापी) के लिए भी निधि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लागत हिस्सेदारी के आधार पर प्रति स्मार्ट फोन 10,000 रुपए +जीएसटी और 4 जीएमडी के सेट के लिए 8,000 रुपए की राशि दी जाती है।

पोषण ट्रैकर द्वारा सृजित विश्लेषणों के माध्यम से परिणाम-आधारित आकलन तथा निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) की प्रदायगी, लाभार्थी सत्यापन एवं सेवा दक्षता पर डिजिटलीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। पोषण ट्रैकर पर नवचेतना (राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन फ्रेमवर्क) एवं आधारशिला (राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम) के अनुरूप ईसीसीई सामग्री को वीडियो, गतिविधि मॉड्यूल एवं गृह-आधारित अधिगम सामग्री के रूप में समेकित कर डिजिटल अधिगम सहायता को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में इस एप्लिकेशन में 249 ईसीसीई वीडियो, 190 ऑडियो संदेश एवं 130 से अधिक गतिविधि-आधारित अधिगम संसाधन उपलब्ध हैं। 0–3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए नवचेतना फ्रेमवर्क के अंतर्गत 14 वीडियो के माध्यम से 140 गृह-आधारित गतिविधियाँ तैयार की गई हैं ताकि सुव्यवस्थित गृह दौरे में सहायता मिल सके तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन के लिए देखभाल करने वाले की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके।

इन पहलों के परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल (ईसीसीई) में एकरूपता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। लाभार्थी इंटरफेस के माध्यम से ईसीसीई, प्रारंभिक प्रोत्साहन एवं बाल देखभाल पद्धतियों से संबंधित अधिगम सामग्री तथा संदेश अभिभावकों तक पहुंचाए जाते हैं। इससे देखभाल करने वालो में जागरूकता बढ़ी है तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास में सामुदाय की सहभागिता को भी सुदृढ़ता मिली है।

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन अध्ययन (2025) किया गया। अध्ययन के अनुसार, संस्थागत आकलन और घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटलीकरण, पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई), लाभार्थी प्रमाणीकरण और सेवा वितरण दक्षता पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में पोषण ट्रैकर को, पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत मैनुअल, कागज-आधारित प्रणालियों को प्रौद्योगिकी-सक्षम संचालन ढांचे के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में लाभार्थियों की डिजिटल निगरानी, इन्वेंट्री और सेवा प्रदायगी का आधार बन गया है।

*****